नईदुनिया

संपादकीय

मिट्टी अब खुद बताएगी अपनी उम्र

मध्यप्रदेश *ने इतिहास की उम्र निर्धारित करने की दिशा में अपनी वैज्ञानिक क्षमता बढ़ाई है। भोपाल के मैपकास्ट परिसर में देश की तीसरी अत्याधुनिक डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर ल्यूमिनेसेंस डेटिंग प्रयोगशाला और गैलरी के शुभारंभ के साथ प्रदेश को ऐसी वैज्ञानिक सुविधा मिली है, जो अब तक देश के चुनिंदा संस्थानों तक सीमित थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसके लोकार्पण के अवसर पर कहा कि सरकारी व्यवस्था में उलझनें होती हैं और सरकार को समझाना आसान नहीं होता। यह कथन बताता है कि प्रयोगशाला की स्थापना केवल सरकारी परियोजना नहीं, बल्कि लंबे प्रयासों का परिणाम है।*

इसका सबसे बड़ा लाभ प्रदेश को शोध के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के रूप में मिलेगा। अब तक मध्यप्रदेश में 50 हजार साल से अधिक पुराने कंकाल, बर्तन, औजार या मिट्टी के नमूने मिलने पर उनकी उम्र निर्धारित करने के लिए उन्हें लखनऊ के बीरबल साहनी संस्थान या पुणे भेजना पड़ता था। इसमें महीनों का इंतजार और काफी खर्च होता था। अब ऐसी जांच भोपाल में ही संभव होगी। प्रदेश के विश्वविद्यालयों के पुरातत्व, भूगर्भ और पर्यावरण विज्ञान के विद्यार्थी अपने शोध को वैज्ञानिक प्रमाण दे सकेंगे।

इस तकनीक की सबसे बड़ी विशेषता दस लाख साल तक पुराने नमूनों की आयु निर्धारित करने की क्षमता है। इससे नर्मदा घाटी में मिले नर्मदा मानव के अवशेषों की वास्तविक आयु जानने में मदद मिल सकती है। इसी तरह भीमबेटका के शैलचित्रों की प्राचीनता को लेकर भी नए वैज्ञानिक निष्कर्ष सामने आ सकते हैं। यदि शोध से भारतीय उपमहाद्वीप में मानव उपस्थिति के नए प्रमाण मिलते हैं तो मानव सभ्यता के इतिहास से जुड़ी स्थापित धारणाओं पर नई बहस शुरू हो सकती है।

यह प्रयोगशाला केवल पुरातात्विक अवशेषों की उम्र नहीं बताएगी, बल्कि अतीत की जलवायु को समझने में भी मददगार होगी। मिट्टी के कणों में संरक्षित संकेतों के अध्ययन से पुराने समय की बाढ़, सूखे और पर्यावरणीय बदलावों की जानकारी मिल सकती है। इससे नर्मदा घाटी और विंध्य क्षेत्र के भूगोल तथा जलवायु परिवर्तन के इतिहास को समझने में सहायता मिलेगी।

इसका लाभ पर्यटन और अर्थव्यवस्था को भी मिल सकता है। भीमबेटका, नर्मदा घाटी, एरण और उज्जैन जैसे ऐतिहासिक स्थलों को वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर नई पहचान मिलेगी। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इन स्थलों का महत्व बढ़ सकता है।

प्रयोगशाला का नाम डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पर रखना विशेष महत्व रखता है। साइकिल से घूमकर इतिहास की खोज करने वाले वाकणकर की विरासत को आज आधुनिक लेजर तकनीक नई ऊंचाई दे रही है। यह संदेश है कि शोध की शुरुआत जिज्ञासा और जुनून से होती है, लेकिन उसे प्रमाणिकता तकनीक देती है।

अब सरकार की जिम्मेदारी है कि इस प्रयोगशाला को केवल प्रदर्शन की वस्तु न बनने दे। यहां स्थायी वैज्ञानिकों की नियुक्ति हो, राष्ट्रीय संस्थानों के साथ समझौते हों और शोध के निष्कर्ष नियमित रूप से प्रकाशित किए जाएं। तभी यह प्रयोगशाला मध्यप्रदेश को पुरातात्विक अनुसंधान के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिला सकेगी।

मध्यप्रदेश किसानों के लिए और आम खोजी भू-वैज्ञानिकी तथ्यों को सामने लाने की दिशा में बड़े कदम उठाने आगे बढ़ रहा है। इस प्रयोगशाला के माध्यम से मिट्टी और हमारी विरासत पर बहुत हद तक पुरात्ताविक महत्व की धरोहरों के रहस्य पर से परदा उठेगा। भीम बैठका या इस तरह के बहुत से हजारों साल पुराने सनातन, संस्कृति और मानव जीवन की उत्पत्ति से लेकर समय-समय पर हुए बदलाव और आदिम युग से विकसित सभ्यता तक आने के रहस्यों का खुलासा तो होगा ही साथ ही बहुत सारा ऐसा इतिहास भी सामने आएगा जो हमें कभी पढ़ाया या बताया ही नहीं गया। प्रयोगशाला मील का पत्थर साबित होगी, पुरात्विक धरोहरों को सामने लाने के लिए।

आजकल

जागरूकता और मानवीय संवेदना की आवश्यकता

प्लेटफॉर्म ही बड़ा विदाई स्थल है। यह कहानी रेल की नहीं, बदलते संस्कार और तकनीक के बीच तालमेल की है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन की घटना बताती है कि अपनों को विदा करने का भावुक आग्रह परेशानी बन सकता है।

लोग परिजनों को छोड़ने प्लेटफॉर्म तक आते हैं और बिना टिकट ट्रेन में चढ़ जाते हैं। सोचते हैं कि गाड़ी चलने से पहले उतर जाएंगे। कानपुर में भी कुछ लोग इसी सोच के साथ वंदे भारत में सवार हो गए। तभी स्वचालित दरवाजे बंद हुए और ट्रेन चल पड़ी। दरवाजे खोलने की कोशिश नाकाम रही। कुछ देर पहले तक विदाई दे रहे लोग अब घबराकर दरवाजे पीटने और ट्रेन रोकने की गुहार लगाने लगे।

कानपुर के बाद अगला नियमित ठहराव नई दिल्ली था। यात्रियों की सूचना के बाद रेलवे ने लगभग 136 किलोमीटर दूर इटावा जंक्शन पर ट्रेन रोककर उन्हें उतारा। बिना टिकट प्रीमियम ट्रेन में यात्रा करने और नियम तोड़ने पर उनसे 36 हजार रुपये से अधिक जुर्माना वसूला गया। मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए यह बड़ी रकम है।

अब वंदे भारत जैसे आधुनिक डिब्बों में स्वचालित दरवाजे हैं। वे भावनाओं से नहीं, तकनीकी व्यवस्था से संचालित होते हैं। ट्रेन को घर का आंगन समझकर भीतर तक चले जाना जोखिम भरा है।

भारतीय परिवारों में विदाई के समय ट्रेन के भीतर तक जाना, सामान रखना और कुछ देर साथ रहना अपनापन जताने का तरीका बन गया है। लेकिन यह रिवाज बदलना होगा। विकास केवल पटरी और इंजन का नहीं, नागरिक सोच का भी होना चाहिए। जैसे हवाई अड्डे पर विदाई की सीमा तय है, वैसे ही रेलवे स्टेशन पर भी प्लेटफॉर्म से विदा देने की आदत अपनानी होगी। रेलवे को स्वचालित दरवाजों और नियमों की स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए। तकनीकी प्रगति के दौर में जागरूकता और अनुशासन ही सबसे बड़ा बचाव हैं।

दस साल से जाम पड़ा प्रमोशन का रास्ता, अब खुलेगा

26 नवंबर की तारीख क्यों बनी उम्मीद की नई किरण

पदोन्नति में आरक्षण का वह मामला, जो पिछले दस साल से फाइलों में सड़ रहा था, अब एक साथ तेज रफ्तार से दौड़ने वाला है। शीर्ष अदालत ने साफ संकेत दिया है कि देशभर में बिखरे हुए सभी मामलों को एक साथ सूचीबद्ध किया जाए और उनकी एक साथ सुनवाई हो। गुरुवार को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों के महाधिवक्ताओं को कड़े निर्देश दिए हैं कि अपने-अपने लंबित मामलों की पूरी जानकारी दें, ताकि 26 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई में बड़ा और अंतिम दिशानिर्देश जारी किया जा सके। यह आदेश आते ही लाखों कर्मचारियों की आंखों में चमक लौट आई है, क्योंकि पहली बार लग रहा है कि अब तारीख पर तारीख नहीं, बल्कि फैसले पर फैसला होगा।

इस समय देश में कुल 155 मामले इसी एक मुद्दे पर लंबित हैं। केंद्र सरकार के साथ-साथ मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्यों के मामले भी इसी भंवर में फंसे हुए हैं। हर राज्य ने अपने-अपने हिसाब से पदोन्नति नियम बनाए, हर नियम को किसी न किसी कर्मचारी संगठन ने अदालत में चुनौती दी और अदालत ने हर बार यथास्थिति कहकर फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया। नतीजा यह हुआ कि पिछले दस वर्षों से कोई भी विभाग खुलकर पदोन्नति नहीं कर पा रहा है।



फाइलें तैयार हैं, समितियां बनी हैं, पर डर है कि कहीं अदालत की अवमानना न हो जाए। इस डर ने पूरे प्रशासनिक ढांचे को पंगु बना दिया है। जूनियर कर्मचारी सीनियर बनने को तैयार नहीं और सीनियर कर्मचारी रिटायरमेंट के कगार पर पहुंच गए, पर प्रमोशन के बिना ही विदा हो रहे हैं। मध्यप्रदेश की कहानी सबसे दर्दनाक है। 30 अप्रैल 2016 को उच्च न्यायालय ने आरबी राय मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया और कहा कि पदोन्नति नियम 2002 में दिया गया आरक्षण का प्रावधान असंवैधानिक है और इसके तहत हुई सभी पदोन्नतियां निरस्त की जाती हैं। साथ ही कहा गया कि जिन लोगों को पदोन्नत किया गया है, उन्हें उनके पुराने पदों पर वापस भेजा जाए। उस दिन प्रदेश के हजारों अधिकारियों के होश उड़ गए, जो सालों से ऊंचे पदों पर काम कर रहे थे। 12 मई 2016 को राज्य सरकार इस फैसले को लेकर शीर्ष अदालत पहुंची और शीर्ष अदालत ने कहा, यथास्थिति बनाए रखो। बस उसी एक शब्द, यथास्थिति, ने पूरे प्रदेश की पदोन्नति व्यवस्था को दस साल के लिए जाम कर दिया। तब से आज तक न तो पुराने नियम लागू हैं, न नए नियम पूरी तरह लागू हो पा रहे हैं।

इस जाम को तोड़ने के लिए सरकार ने चार महीने पहले एक नया दांव खेला और पदोन्नति नियम 2025 लेकर आई। सरकार का दावा है कि इस नए नियम में 2002 के नियम की सभी विसंगतियों को दूर कर दिया गया है और मात्रात्मक डेटा यानी पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व के आंकड़े भी जुटा लिए गए हैं। इसी आधार पर सरकार ने कुछ विभागों में पदोन्नति प्रक्रिया फिर से शुरू भी कर दी है, पर असली पेंच यहीं है। उच्च न्यायालय पहले ही कह चुका है कि जब तक शीर्ष अदालत 2002 के नियम पर अंतिम मुहर नहीं लगाती, तब तक 2025 के नियम पर भी अंतिम फैसला नहीं दिया जा सकता। यानी सरकार ने नया दरवाजा तो खोला, पर उस दरवाजे पर भी पुराने ताले की चाबी लगी हुई है। अब देखना है कि सुप्रीम सुनवाई में इस नए नियम को अलग माना जाता है या उसी पुराने विवाद का हिस्सा।

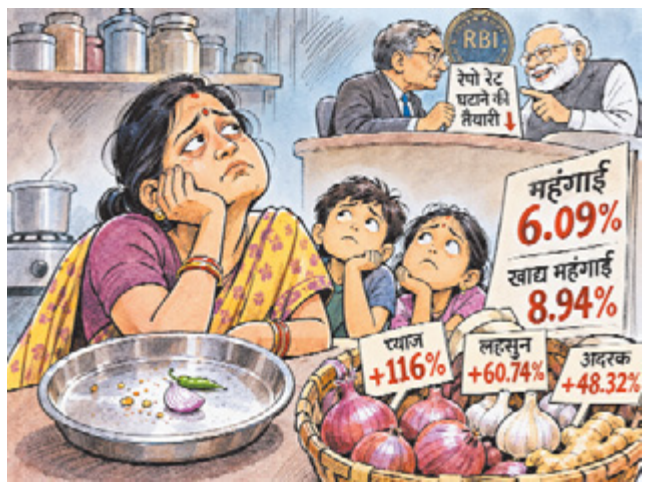
कर्मचारियों के नजरिए से देखिए तो यह केवल आरक्षण का मामला नहीं है, यह उनके जीवन के सबसे कीमती दस साल का मामला है। एक कर्मचारी, जो 2016 में पदोन्नति के कगार पर था, वह आज 2026 में रिटायर होने वाला है। उसने दस साल तक एक ही टेबल पर एक ही काम किया, जबकि उसका जूनियर दूसरे विभाग में पदोन्नत होकर उसका बॉस बन गया। इस उलटफेर ने कार्यालयों में ईर्ष्या, तनाव और कामचोरी को जन्म दिया है। कई ईमानदार अधिकारियों ने तो पदोन्नति की आस ही छोड़ दी है और सिर्फ समय काट रहे हैं। यदि एक साथ सुनवाई से यह जंजाल टूटता है, तो न केवल फाइलें चलेंगी, बल्कि मनोबल भी लौटेगा और प्रशासन में फिर से ऊर्जा आएगी।

अब सबकी निगाहें 26 नवंबर पर टिकी हैं। शीर्ष अदालत ने संकेत दिया है कि फरवरी में राज्यवार विस्तृत सुनवाई होगी, यानी हर राज्य को अपना-अपना डेटा और अपना-अपना तर्क रखने का मौका मिलेगा और उसके बाद एक देशव्यापी सिद्धांत तय होगा। यह सिद्धांत ही तय करेगा कि पदोन्नति में आरक्षण के लिए क्या आंकड़े चाहिए, क्या पिछड़ेपन का प्रमाण जरूरी है और क्या प्रशासनिक दक्षता प्रभावित होगी। यदि अदालत ने एक स्पष्ट फार्मूला दे दिया, तो भविष्य में कोई भी सरकार बिना तैयारी के नियम नहीं बनाएगी और न ही हर नियम अदालत में जाकर लटकेगा। यह फैसला लाखों परिवारों के भविष्य का फैसला होगा, इसलिए अब देरी नहीं, बल्कि त्वरित और निर्णायक न्याय की जरूरत है और एक साथ सुनवाई उसी निर्णायक न्याय की ओर पहला बड़ा कदम है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

थाली से गायब हो रहा निवाला, रेपो रेट के खेल में पिस रहा आम इंसान

छह दशमलव शून्य नौ की महंगाई आंकड़ा नहीं, चूल्हे की आग है



19 नवंबर को आए आंकड़ों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि देश की अर्थव्यवस्था के दो चेहरे हैं। एक चेहरा वह है जो रिजर्व बैंक की बैठकों में दिखता है, जहां रेपो रेट घटाने की तैयारी पर चर्चा होती है, और दूसरा चेहरा वह है जो हर सुबह रसोई में दिखता है, जहां मां सोचती है कि आज सब्जी में क्या बनेगा। आम आदमी की जेब पर महंगाई का दबाव लगातार बढ़ रहा है। दूध, प्याज, लहसुन और अदरक जैसी रोजमर्रा की जरूरतें अब जरूरत नहीं, बोझ बन गई हैं। दूध के बिना बच्चे का पेट नहीं भरता, प्याज-लहसुन के बिना दाल में छौंक नहीं लगता, लेकिन जब यही चीजें सौ फीसदी से ज्यादा महंगी हो जाएं तो छौंक नहीं, आंसू निकलते हैं।

अक्टूबर 2026 में देश की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 प्रतिशत पर पहुंच गई। यह पिछले 24 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। सितंबर में यह दर 5.54 प्रतिशत थी। यानी एक महीने में ही इतनी तेजी से महंगाई बढ़ी कि मध्यम वर्ग और गरीब परिवार का पूरा बजट बिगड़ गया। अक्टूबर में खाद्य महंगाई दर बढ़कर 8.94 प्रतिशत हो गई, जबकि सितंबर में यह 7.74 प्रतिशत थी। सब्जियों में सबसे ज्यादा उछाल प्याज की कीमतों में देखने को मिला। प्याज की महंगाई दर 116.22 प्रतिशत दर्ज की गई, वहीं लहसुन 60.74 प्रतिशत और अदरक 48.32 प्रतिशत महंगा हुआ। इसका मतलब सीधा है कि जो परिवार कल तक सौ रुपये में थैला भर सब्जी लाता था, आज वह उसी सौ रुपये में आधा थैला भी नहीं ला पा रहा है।

इसका जनसरोकार से सीधा जुड़ाव है। यह आंकड़ों का खेल नहीं है, यह जनता के पेट का सवाल है। होटल और रेस्तरां से जुड़ी सेवाओं की कीमतों में भी 10.06 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पर्सनल केयर, सामाजिक सुरक्षा और अन्य सेवाओं की महंगाई दर 10.14 प्रतिशत रही। यानी बाहर काम करने वाला मजदूर, जो दिनभर ईंट ढोता है और शाम को दस रुपये की चाय और बीस रुपये की पूरी खाता है, उसकी चाय भी महंगी हो गई और पूरी भी। सोचिए, एक विधवा मां जो पंद्रह सौ रुपये की पेंशन पर घर चलाती है, उसका क्या होगा? एक छात्र जो बाहर रहकर पढ़ता है और महीने का राशन जोड़ता है, उसका क्या होगा? महंगाई का दबाव केवल खाद्य वस्तुओं तक सीमित नहीं है। यह पूरे जीवन पर दबाव है। यह बच्चे की पढ़ाई पर दबाव है, बुजुर्ग की दवाई पर दबाव है और नौजवान की नौकरी की उम्मीद पर दबाव है।

सरकार और रिजर्व बैंक रेपो रेट फिर घटाने की तैयारी में हैं। तर्क दिया जा रहा है कि कर्ज सस्ता होगा तो कारोबार बढ़ेगा, पर सवाल यह है कि कारोबार किसके लिए बढ़ेगा? जब जनता के पास खरीदने की ताकत ही नहीं बचेगी, तो दुकान में सामान कौन खरीदेगा? सस्ता कर्ज बड़े उद्योगपतियों को मिल जाएगा, पर सस्ती थाली आम आदमी को कब मिलेगी?

यह जनसरोकार का सबसे बड़ा सवाल है। अर्थशास्त्र की किताबों में महंगाई को काबू करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाई जाती हैं, ताकि बाजार में पैसा कम हो, पर यहां उल्टा हो रहा है। ब्याज दरें घट रही हैं और बाजार में महंगाई बढ़ रही है। इसका मतलब है कि नीति और नियत दोनों में फर्क आ गया है। नीति कागज पर है और नियत बाजार के हवाले है।

जनसरोकार का मतलब है जनता के सरोकार को समझना। सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ जीडीपी बढ़ाना नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी घर का चूल्हा जलाए रखना है। यदि सरकार सच में जनता के साथ खड़ी है, तो उसे तीन काम तुरंत करने होंगे। पहला, मंडियों में जमाखोरों पर छापा मारना होगा, जो प्याज और लहसुन को गोदाम में रोककर दाम बढ़ाते हैं। दूसरा, किसानों को सीधे बाजार से जोड़ना होगा, ताकि किसान को सही दाम मिले और जनता को सस्ती सब्जी मिले। बिचौलिए खत्म होंगे, तो दाम खुद कम होंगे। तीसरा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर दाल, सब्जी और दूध जैसी चीजों को भी देना होगा, जैसे अनाज दिया जाता है। तभी गरीब की थाली बचेगी, नहीं तो यह खाद्य महंगाई गरीबी को और गहरी कर देगी और कुपोषण को और बढ़ा देगी।

8.94 प्रतिशत खाद्य महंगाई कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है, यह हर घर की भूख का आंकड़ा है। जब खाने-पीने की चीजें महंगी होती हैं, तो सबसे पहले औरतें अपना पेट काटती हैं, फिर बच्चे कम खाते हैं। यह सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं है, यह सामाजिक न्याय का सवाल है। रेपो रेट घटने से शेयर बाजार भले खुश हो जाए, पर जनता तब खुश होगी जब बाजार में प्याज का दाम कम होगा, दूध का दाम स्थिर होगा और थाली फिर से भर जाएगी। सरकार को तय करना होगा कि वह किसकी थाली भरना चाहती है, बड़े निवेशकों की या आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि लोकतंत्र में असली निवेशक जनता ही है और उसका भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

एआई के बुलबुले के बीच भारत बनेगा दुनिया के पैसे का सबसे सुरक्षित ठिकाना

बाजार बढ़ा, कॉर्पोरेट चमका, यही है भारत का असली जादू



मुंबई से 19 नवंबर को जो बयान आया, उसने पूरी दुनिया के बाजार में हलचल मचा दी है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन ने साफ कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में ऊंचे वैल्यूएशन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच भारत वैश्विक निवेश आकर्षित करने की बेहद मजबूत स्थिति में है। यानी जब दुनिया एआई के महंगे गुब्बारे के फटने से डर रही है, तब भारत एक ठोस जमीन की तरह निवेशकों को बुला रहा है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में वैश्विक पूंजी का बड़ा हिस्सा एआई आधारित निवेशों की ओर चला गया था, पर अब खेल बदल रहा है।

जब निवेशक एआई से जुड़े निवेशों का पुनर्मूल्यांकन करेंगे, तो भारत जैसे मजबूत आर्थिक आधार वाले देशों को इसका बड़ा लाभ मिल सकता है। यह बात वार्षिक बैठक में कही गई, जहां बड़े-बड़े निवेशक मौजूद थे। नागेश्वरन ने कहा कि भारत का मजबूत व्यापक आर्थिक प्रदर्शन, गरीबी में लगातार कमी और तेजी से विकसित हो रहा कॉर्पोरेट परिदृश्य देश को वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य बना रहा है। यानी भारत के पास तीन हथियार हैं, तेज विकास, गरीबों का उठना और कंपनियों का चमकना। यही तीन हथियार उसे दुनिया की पहली पसंद बना सकते हैं।

एआई से जुड़े निवेशों का पुनर्मूल्यांकन होगा तो पूंजी का रुख बदलेगा। इस एक लाइन में पूरी कहानी छिपी है। पिछले तीन साल में दुनिया ने एआई कंपनियों में बेतहाशा पैसा झोंका है। ऐसी कंपनियां, जिनकी कमाई कुछ नहीं, पर वैल्यूएशन आसमान पर है। अब निवेशकों को समझ आ रहा है कि यह कीमत ज्यादा है, इसलिए वे अपना पैसा निकालकर ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं, जहां असली काम हो रहा हो, जहां सड़कें बन रही हों, जहां फैक्ट्रियां लग रही हों, जहां लोग सामान खरीद रहे हों और वह जगह भारत है। ऊर्जा कीमतों में नरमी और एआई क्षेत्र के अत्यधिक मूल्यांकन को लेकर हो रहे पुनर्मूल्यांकन से पूंजी उन अर्थव्यवस्थाओं की ओर जाएगी, जिनके पास मजबूत विकास क्षमता और स्थिर आर्थिक आधार मौजूद हैं। और भारत से ज्यादा स्थिर और मजबूत आधार आज किसी के पास नहीं है।

भारत क्यों अलग है, इसका जवाब गांव से लेकर शहर तक दिखता है। एक सौ चालीस करोड़ लोगों का बाजार अपने आप में दुनिया है। यहां जो बनता है, यहीं बिक जाता है, इसलिए बाहरी मंदी का असर यहां कम होता है। दूसरा, गरीबी में लगातार कमी ने करोड़ों नए ग्राहक पैदा किए हैं, जो कल तक कुछ नहीं खरीद पाते थे, आज वे मोबाइल से लेकर मोटरसाइकिल तक खरीद रहे हैं। तीसरा, कॉर्पोरेट परिदृश्य तेजी से विकसित हो रहा है। भारतीय कंपनियां अब दुनिया की बड़ी कंपनियों को टक्कर दे रही हैं, उनका मुनाफा बढ़ रहा है और वे ईमानदार भी हो रही हैं। यही भरोसा विदेशी निवेशक को चाहिए कि उसका पैसा डूबेगा नहीं, बल्कि बढ़ेगा।

इसलिए मुख्य आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन का कहना सिर्फ बयान नहीं है, यह भविष्य की तस्वीर है। जब एआई का नशा उतरेगा, तो दुनिया को असली विकास चाहिए होगा और असली विकास इस समय भारत में हो रहा है। डिजिटल इंडिया से लेकर मेक इन इंडिया तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर स्टार्टअप तक, हर जगह रफ्तार है। वैश्विक निवेशकों की पहली पसंद बन सकता है भारत। यह सिर्फ नारा नहीं है, यह आने वाले समय की सच्चाई है और जो निवेशक आज भारत को चुनेगा, वह कल सबसे आगे होगा।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

हिमाचल में बगावत की सुगबुगाहट

मंत्री पद की चाहत में फूटा गुस्सा, संगठन से लेकर सरकार तक हड़कंप

धर्मशाला से उठी एक चिंगारी ने पूरे हिमाचल की सियासत में आग लगा दी है। कुल्लू सदर से कांग्रेस विधायक और पूर्व सीपीएस सुंदर ठाकुर के बागी तेवरों ने न सिर्फ पार्टी के भीतर भूचाल ला दिया है, बल्कि सरकार और संगठन दोनों की नींद उड़ा दी है। इन तीखे तेवरों ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को भी असहज कर रखा है और यह असहजता अब छिपाए नहीं छिप रही है। मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही लगातार देरी और खुद को इस दौड़ से बाहर महसूस करने की कसक अब विधायक की जुबान पर साफ झलकने लगी है और यह जुबान अब पार्टी की गारंटियों तक पर सवाल उठा रही है।

राजनीतिक पारे में उबाल तब और आ गया, जब सुंदर ठाकुर ने कांग्रेस की उन गारंटियों से ही किनारा करना शुरू कर दिया, जिनके दम पर पार्टी सत्ता में आई थी। महिलाओं को पंद्रह सौ रुपये प्रति माह देने के वादे के तहत भरवाए गए फार्म के पूरे मामले पर उन्होंने बड़ा बयान देते हुए इसका पूरा ठीकरा महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के सिर फोड़ दिया। सत्ता के गलियारों में अपनी अनदेखी से उपजा यह असंतोष अब पार्टी के शीर्ष प्रबंधन को भी कठघरे में खड़ा कर रहा है। सवाल यह है कि क्या सरकार अपनी ही गारंटी से भाग रही है या संगठन ही सरकार को फेल कर रहा है? इस एक बयान ने दो निशाने साध दिए हैं, एक सरकार पर और दूसरा संगठन पर।

मंत्री पद की कसक ने कांग्रेस सरकार और संगठन की धड़कनें बढ़ा दी हैं। यह पंक्ति अब हिमाचल में सबसे ज्यादा चर्चा में है। सुंदर ठाकुर खुलकर कह रहे हैं कि उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। कुल्लू जैसे बड़े जिले से आने वाले वरिष्ठ विधायक को यदि मंत्री नहीं बनाया जाता, तो कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी फैलती है। उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य का पूरा अधिकार अपने वफादार कार्यकर्ताओं को सौंप दिया है।



कार्यकर्ताओं की अदालत में फैसले की बात कहकर उन्होंने प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय हाईकमान के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है। गेंद अब कार्यकर्ताओं के पाले में है और यह गेंद किसी भी समय सरकार के लिए मुसीबत बन सकती है।

हिमाचल की राजनीति में बागियों ने पहले भी हलचल मचाई है और हर बार हलचल ने सरकारें हिला दी हैं। इसलिए इस बगावत को हल्के में लेना सबसे बड़ी भूल होगी। कांग्रेस की आपसी कलह अब पार्टी को बड़े संकट की ओर बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री को संतुलन बनाना है, तो दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष को संगठन संभालना है और बीच में बागी विधायक अपनी अलग राह बना रहे हैं। यदि समय रहते मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ, तो ऐसे और भी सुंदर ठाकुर सामने आएंगे और फिर सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। सत्ता का सुख जब तक सबमें नहीं बंटता, तब तक बगावत की आग बुझती नहीं है और यही आग अब शिमला से धर्मशाला तक फैल रही है।

आने वाले दिनों में हिमाचल की सियासत और गरमाने वाली है, क्योंकि बागी तेवरों से गरमाई राजनीति अब सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रही, यह अब संगठन के भीतर की लड़ाई बन गई है। अलका लांबा पर फोड़ा गया ठीकरा इस बात का संकेत है कि लड़ाई अब दिल्ली तक पहुंच गई है। महिला कांग्रेस की गारंटी और कुल्लू के विधायक का गुस्सा, दोनों मिलकर कांग्रेस के लिए नई मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। देखना होगा कि हाईकमान इस बगावत को कैसे शांत करता है, क्या मंत्रिमंडल विस्तार का तोहफा देकर या फिर अनुशासन की कार्रवाई करके? फिलहाल तो एक बात तय है कि हिमाचल में कांग्रेस की अंदरूनी कलह अब बाहर आ गई है और यह कलह आने वाले समय में पार्टी को बड़े संकट में डाल सकती है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)